



राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना 800022

अधिसूचना

दिनांक-.....

संख्या बी०एस०यू०(स्टैच्यूट)-28/2018-...../रा०स०(1)- माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सम्यक् विचरोपरान्त राज्य के अधिकतर विश्वविद्यालयों के विश्वविद्यालय कार्यालय, संबद्ध कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं छात्रावास अधीक्षक / वार्डेन आदि के सेवाशर्त, नियुक्ति, कालावधि तथा स्थानान्तरण आदि के मामले में पूर्व से धारित परिनियम में संशोधन अथवा नये परिनियम बनाने हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधन की धारा 36 (7) के आलोक में निम्नांकित तीन कुलपतियों की समिति गठित करने की कृपा की गयी है:-

- 1) कुलपति,
तिलका मॉड्री भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
- 2) कुलपति,
भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
- 3) कुलपति,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

उपर्युक्त समिति अपना मंतव्य अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर समर्पित करेगी ।
माननीय कुलाधिपति के आदेश से,

ह०/-

(पी० सी० चौधरी)

विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक)

ज्ञापांक-बी०एस०यू०(स्टैच्यूट)-28/2018-²⁰⁴⁸...../रा०स०(1)

दिनांक- 01-08-2018

प्रतिलिपि:-कुलपति, तिलका मॉड्री भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर / कुलपति, भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा / कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:-श्री विजय कुमार, निदेशक तकनीकी, एन.आई.सी., राजभवन, कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ एवं राजभवन के बेवसाईट पर लोड करने हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक)